रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 1994/वैशाख 1, 1916
No. 172] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 1994/VAISAKHA 1, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1994

सं. 115/94-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 395 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/94 सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) प्रथम परन्तुक में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) वह, तीन मास या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा यथा-प्रमाणित, जिसकी अधिकारिता में माल का विनिर्माण करने वाला कारखाना स्थित है, इस आशय का, ऐसे लेखा का उद्धरण प्रस्तुत करेगा कि, उक्त माल का उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, और",

(ii) द्वितीयक परन्तुक में, "शीर्ष ख के अधीन सूचीबद्ध माल" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "क्रम सं. 9 के सामने विनिर्दिष्ट माल के सिवाय शीर्ष ख के अधीन सूचीबद्ध माल" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(iii) सारणी में,—शीर्ष ख के अधीन,—

(क) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1. | ऐसे सूत्रण, जिनमें थियो स्थानों मेथाइल थियो बेंजोथियाजोल (टीसीएमटीबी) या पैरा क्लोरो मेटा क्रेसोल (पीसीएमसी) में से कोई हो या दोनों हों; |

(ख) स्तम्भ (2) में, क्रम सं. 9 के सामने, मद (vii) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(viii) थियो स्थानों मेथाइल थियो बेंजोथियाजोल (टीसीएमटीबी)
(ix) पैरा क्लोरो मेटा क्रेसोल (पीसीएमसी)"।

[फा सं. 332/5/94-टी.आर.यू.]

सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1994

NO. 115/94-CUSTOMS

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/94-Customs, dated the 1st March, 1994, namely :—

In the said notification,—

(i) in the first proviso, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely ,—

"(c) he shall, within three months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf, produce the extract of such account, duly certified by the Assistant Collector of Central Excise in whose jurisdiction the factory manufacturing the goods is situated, to the effect that the said goods have been used for the said purpose; and".

(ii) in the second proviso, for the words and letter "goods listed under heading B", the words, letters and figure "goods listed under heading B, except in case of these goods specified against S. No. 9," shall be substituted.

(iii) in the Table, under heading B,—

(a) for S. No. 1 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

| (1) | (2) |
|---|---|
| | "1. Formulations containing either Thio cyano methylthio benzothiazole (TCMTB) or Para chloro meta cresol (PCMC) or both"; |

(b) against S. No. 9, in column (2), after item (vii), the following items shall be inserted, namely :—

"(viii) Thio cyano methyl thio benzothiazole (TCMTB) (ix) Para chloro meta cresol (PCMC)".

[F. No. 332|5|94-TRU]

SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994